बिहार सरकार
वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक-

विषय :- दिनांक-01.09.2005 या उसके बाद नियुक्त सरकारी सेवकों (नई पेंशन योजना से आच्छादित कर्मी) के सक्रिय कर्त्तव्य निर्वहन के दौरान उग्रवादी अथवा अन्य हिंसक गतिविधियों में मारे जाने पर उनकी विधवा/आश्रितों को विशेष पारिवारिक पेंशन की सुविधा दिये जाने के संबंध में ।

भारत सरकार के द्वारा दिनांक-01.01.2004 और उसके बाद नियुक्त कर्मियों के लिए नई पेंशन योजना लागू की गयी है । वित्त विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या 1964 दिनांक-31.08.2005 द्वारा दिनांक-01.09.2005 और उसके बाद नियुक्त कर्मियों के लिए "बिहार सरकारी कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना 2005" लागू की गयी है जो केन्द्र सरकार के तर्ज पर ही है ।

2. वित्त विभागीय संकल्प सं0-2411 दिनांक-12.11.2005 की कंडिका-4 के अनुसार:-

राज्य के सभी स्तर के सेवकों को कर्तव्य के दौरान मारे जाने पर उनके आश्रितों को निम्न सुविधाएँ देय है:-

(1) कर्त्तव्य के दौरान उग्रवादी अथवा अन्य हिंसक गतिविधियों में मारे जाने पर उनके आश्रितों को 10.00 लाख रूपये अनुग्रह अनुदान की राशि;

(2) (क) जिन सरकारी सेवक की वर्त्तमान नियमो के अनुसार सेवा पेंशन प्रदायी है उनके एक आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ:

(i) सभी स्तर के सरकारी सेवकों को उग्रवादी अथवा अन्य हिंसक गतिविधियों में मारे जाने पर उनकी विधवा को सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि को प्राप्त हो रहे शुद्ध भुगतेय वेतन विशेष पारिवारिक पेंशन के रूप में संबंधित सरकारी सेवक की सेवा-निवृत्ति की तिथि तक;

(ii) यदि सरकारी सेवक की पत्नी जीवित नहीं है और बच्चे हैं तो सभी बच्चों को मिलाकर मृतक को वास्तविक रूप से मृत्यु की तिथि को प्राप्त हो रहे शुद्ध भुगतेय वेतन विशेष पारिवारिक पेंशन के रूप में अनुमान्य होगी जिसकी न्यूनतम सीमा 2500 रू0 (दो हजार पाँच सौ रूपये) होगी । यह विशेष पेंशन बच्चों की उम्र 25 वर्ष या उनकी किसी सरकारी सेवा में नियुक्ति जो भी पहले हो तक;

(iii) यदि मृतक अविवाहित या निःसतान हो, तो माता-पिता या उनमें कोई एक जीवित हो तो उन्हें कंडिका-2(क) (i) की सुविधा;

.....2

(ख) जिन सरकारी सेवकों की सेवा पेंशन प्रदायी नहीं है, उनके मारे जाने पर 10.00 लाख रूपये अनुग्रह अनुदान की राशि एवं उनके एक आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की सुविधा देय होगी । ऐसे कर्मियों के आश्रितों को उपर्युक्त (क) की विशेष पेंशन देय नहीं होगा;

(ग) कंडिका-4 का 2(क) में उल्लिखित लाभान्वितों के मृतक की कल्पित आयु 60 वर्ष होने के पश्चात् मृतक सरकारी सेवक के परिवार को देय पारिवारिक पेंशन,

(घ) दिनांक-01.09.2005 या उसके बाद से नियुक्त नये सरकारी सेवकों पर वर्त्तमान पेंशन योजना उपलब्ध नहीं होने के कारण वैसे सरकारी सेवकों को इस योजना का लाभ देय नहीं होगा । वेसे सरकारी सेवकों के लिये यथाशीघ्र अलग से निर्णय लिया जायेगा ।

3. वित्त विभागीय संकल्प सं0-1213 दिनांक-04.09.2014 द्वारा दिनांक-01.09.2005 या उसके बाद नियुक्त सरकारी सेवकों (नई पेंशन योजना से आच्छादित कर्मी) को सेवाकाल में मृत्यु होने/सक्रिय कर्तव्य निर्वहन के कारण दुर्घटना में मृत्यु होने एवं कर्तव्य के दौरान हिंसक घटनाओं में मारे जाने पर उनके आश्रित के लिए निम्न सुविधा दिये जाने का प्रावधान किया गया है-

(क) एक आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत किये जाने वाले आदेशों के आलोक में और तदनुसार निर्धारित अधिसीमा में दिया जायगा ।

(ख) कर्त्तव्य अवधि में सक्रिय कर्त्तव्य निर्वहन के क्रम में दुर्घटना के कारण मृत्यु होने की स्थिति में वित्त विभागीय संकल्प संख्या-1441 दिनांक-10.10.2013 में निर्धारित शर्त्तों के अधीन 10(दस) लाख रूपये अनुग्रह अनुदान की सुविधा आदेश निर्गत की तिथि से देय होगी ।

(ग) कर्त्तव्य के दौरान हिंसक घटनाओं में मारे जाने की स्थिति में 10 (दस) लाख रूपये अनुग्रह-अनुदान देय होगा । यह लाभ संकल्प संख्या-2411 निर्गत होने की तिथि अर्थात् दिनांक-12.11.2005 के प्रभाव से लागू होगा । परन्तु ऐसे कर्मियों के आश्रितों को विशेष पारिवारिक पेंशन देय नहीं होगी ।

4. सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि वित्त विभागीय संकल्प सं0-1213 दिनांक-04.09.2014 की कंडिका-5(ग) में अंकित शब्द समूह ''परन्तु ऐसे कर्मियों के आश्रितों को विशेष पारिवारिक पेंशन देय नहीं होगी'' को विलोपित कर शब्द समूह ''ऐसे कर्मियों को सक्रिय कर्त्तव्य निर्वहन के दौरान उग्रवादी अथवा अन्य हिंसक गतिविधियों में मारे जाने पर वित्त विभागीय संकल्प सं0-2411 दिनांक-12.11.2005 में पुरानी पेंशन से आच्छादित कर्मियों के विधवा/आश्रितों को दिये जाने वाले विशेष

.....3

पारिवारिक पेंशन के प्रावधान के अनुरूप ही नई पेंशन प्रणाली से आच्छादित कर्मियों के विधवा/आश्रितों को विशेष पारिवारिक पेंशन देय होगा जो मृतक कर्मी की सेवानिवृत्ति की तिथि तक देय होगा'' को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

एतद् संबंधी पूर्व के निर्गत आदेश/निर्णय उक्त हद तक विलोपित/संशोधित समझे जायेंगे ।

**आदेशः-** आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/-
(राहुल सिंह)
**सचिव (व्यय)**

ज्ञापांक- वि0-27पे0को0-187/2010 पटना, दिनांक-

प्रतिलिपिः-महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-
(राहुल सिंह)
**सचिव (व्यय)**

ज्ञापांक- वि0-27पे0को0-187/2010 पटना, दिनांक-

प्रतिलिपिः-सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारी /सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी पेंशन प्रदायी बैंक को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(राहुल सिंह)
**सचिव (व्यय)**

ज्ञापांक- वि0-27पे0को0-187/2010 272 पटना, दिनांक- 08-3-19

प्रतिलिपिः- महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सचिव, बिहार विधान सभा/परिषद्/ प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट वित्त विभाग/सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राहुल सिंह)
**सचिव (व्यय)** ।

M.B.
08-3-19